श्री सरयु राय, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–27.02.2024 को पूछे जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–16 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि बिरसा जैविक उद्यान, ओरमांझी, राँची में वर्षो से लगभग 120 कर्मी दैनिक वेतनभोगी के रूप मे कार्यरत हैं ;	स्वीकारात्मक। वर्तमान में बिरसा जैविक उद्यान, ओरमांझी, राँची में कुल 108 कर्मी दैनिक श्रमिक के रूप में कार्यरत हैं।
2.क्या यह बात सही है कि दैनिक वेतनभोगी कर्मियों में से अधिकांश कर्मियों को श्रम मंत्रालय के प्रावधानानुसार वर्ष में दो बार प्रदत्त वेतन वृद्धि का सुविधा नहीं मिल रहा है और इन्हें कुशल कर्मी के समान मानदेय नहीं दिया जा रहा है तथा बिरसा जैविक उद्यान प्रबंधन द्वारा इन्हें ई0पी0एफ0 और ई0एस0आई0सी0, जीवन–बीमा इत्यादि का लाभ नहीं दिया जा रहा है;	अस्वीकारात्मक। श्रम मंत्रालय के प्रावधानानुसार वर्ष में दो बार वेतन वृद्धि की सुविधा सभी दैनिक कर्मियों को दी जा रही है एवं कुशल कर्मियों को कुशल मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है। उद्यान में कार्यरत सभी दैनिक कर्मियों को ई.पी.एफ. का लाभ दिया जा रहा है।
3.क्या यह बात सही है कि ये कर्मी स्थायी नियुक्ति की सभी अहर्त्ता रखते हैं, परन्तु इनका बिरसा जैविक उद्यान प्रबंधन, ओरमाँझी, राँची द्वारा स्थायीकरण नहीं किया जा रहा है;	उद्यान में पशुपालक–सह–स्वीपर के कुल 24 पद स्वीकृत है जिसके विरुद्ध 12 पद धारित है एवं शेष रिक्त है। दैनिक मजदूरों में कार्यरत कोई भी कर्मी स्थायी नियुक्ति की अर्हता नहीं रखते है।
4.यदि उपर्युक्त कंडिकाओं के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इन कर्मियों की स्थायी नियुक्ति का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	इसका उत्तर कण्डिका 3 में निहित है।

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–5 / वि0स0 अ0सू0 प्रश्न–16 / 2024–612 व0प0, दिनांक–26/02/24

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0–2713, दिनांक–20.02.2024 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ / उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, राँची / संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/02/24

(सुनील कुमार)
सरकार के अवर सचिव।